न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी– डॉ0 नवनीत कुमार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या –12/2025

उनवान

1. हेमराज पुत्र रामकिशन
2. केशन्ता पुत्री रामकिशन

समस्त जाति गुर्जर निवासी रामगढ तहसील सिकराय जिला दौसा।

बनाम

अपीलाण्ट

बनाम

1. विजयसिंह पुत्र जगन्या उर्फ जमन्या
2. विनोद देवी पुत्री रामकिशन

समस्त जाति गुर्जर निवासी रामगढ तह0 सिकराय जिला दौसा।

3. सरपंच ग्राम पंचायत रामगढ, पंचायत समिति सिकन्दरा।
4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार सिकराय।
5. राज0 सरकार जरिए उप तहसीलदार एवं उपं पंजीयक सिकन्दरा।

रेस्पोडेण्टस

अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 237 ग्राम रामगढ तह0 सिकराय दिनांक 18.07.2025 ग्राम पंचायत रामगढ प0स0 सिकन्दरा जिला दौसा।

अपीलाण्टस की ओर से श्री रामचन्द्र वैष्णव एड0

रेस्पोडेण्टस की ओर से श्री निर्मल कुमार शर्मा एड0 एवं श्री गोरधन गुर्जर एड0

निर्णय **निर्णय दिनांक 18.02.2026**

पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि अपीलाण्ट द्वारा अपील विरूद्ध नामान्तकरण इस

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला दौसा

आशय की पेश की गई कि भूमि खसरा नंबर 676 रकबा 0.4700 है0, खसरा नंबर 677 रकबा 0.7000 है0, खसरा नंबर 678 रकबा 0.0600 है0, खसरा नंबर 679 रकबा 0.5900 है0, खसरा नंबर 680 रकबा 1.5600 है0, कुल किता 5 कुल रकबा 3.3800 है0 वाके रामा रामगढ तह0 सिकराय जिला दौसा में स्थित है। अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट के सजरा खानदान अनुसार बीरबल के तीन पुत्र रामधन, जगन्या उर्फ जमन्या एवं रामकिशन थे। जगन्या उर्फ जमन्या के वारिस पत्नि तोफली, पुत्र भौरीलाल, हरिसिंह, विजयसिंह, बाबूलाल, एवं पुत्री क्रमंशः गुलाब, प्रेम एवं विमला है। तथा रामकिशन के वारिस पत्नि कमला जो फौत हो चुकी है तथा पुत्र हेमराज जो कि अपीलाण्ट संख्या 1 है एवं पुत्री केशन्ता अपीलाण्ट संख्या 2 तथा पुत्री विनोद जो कि रेस्पोडेण्ट संख्या 2 है। उपरोक्त खसरा नंबरान की भूमि ग्राम रामगढ तह0 सिकराय जिला दौसा में स्थित है इस भूमि में अपीलाण्ट नंबर 1 का हिस्सा 1/12 व अपीलाण्ट नंबर 2 का हिस्सा भी 1/12 राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में दर्ज है। रेस्पोडेण्ट नंबर 1 विजयसिंह के पिता का नाम जगन्या उर्फ जमन्या है, परन्तु रेस्पोडेण्ट नंबर 1 द्वारा जालसाझी करते हुए मृतक रामकिशन का पुत्र बनते हुए हिस्सा 1/12 की खातेदारी अपने नाम से दर्ज करवा ली। जबकि विजयसिंह के पिता का नाम जगन्या उर्फ जमन्या है। सजरा खानदान से यह बात स्पष्ट हो रही है कि मृतक रामकिशन के हेमराज, केशन्ता एवं विनोद तीन औलाद है तथा मृतक रामकिशन की धर्मपत्नी कमला देवी का निधन हो चुका है। इसके अलावा रामकिशन का कोई भी वारिस नहीं है परन्तु रेस्पोडेण्ट नंबर 1 के द्वारा फर्जी कागजात बनवाते हुए मृतक रामकिशन की भूमि का हिस्सा 1/12 का नामान्तकरण अपने नाम से खुलवा लिया जो कि न्यायहित में गलत है। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 विजय सिंह के द्वारा ना तो कभी मृतक रामकिशन की सेवा सुश्रुषा की है और ना ही मृतक रामकिशन के पास रहा है। मृतक रामकिशन की पगडी भी उसके जायज पुत्र अपीलाण्ट नंबर 1 हेमराज के बंधी है तथा क्रियाकर्म इत्यादि भी हेमराज के द्वारा ही किए गए है। परन्तु रेस्पोडेण्ट संख्या 1 द्वारा इन सब बातों को नजरअन्दाज कराते हुए फर्जी तरीके से आधार कार्ड इत्यादि बनाकर रामकिशन का पुत्र बनकर हिस्सा 1/12 भूमि का नामान्तकरण अपने नाम से खुलवा लिया। इसलिए तस्दीक नामान्तकरण जेर अपील विधि तथ्यों एवं प्रक्रिया के खिलाफ होने के कारण काबिले निरस्तनीय है। यह है कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्टस को सुनवाई व सबूत का अवसर दिये बिना व बिना ही रेस्पोडेण्ट नंबर 1 के हक में हिस्सा 1/12 की भूमि का नामान्तकरण तस्दीक कर दिया गया जो कानून के विरूद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य हैं। उक्त

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला दौसा

नामान्तकरण संख्या 237 की जानकारी अपीलाण्टस को पटवारी हल्का रामगढ द्वारा के.सी.सी. बनवाने के लिये राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी की नकल प्राप्त करने पर मिली। जिस पर अपीलाण्टस ने नामान्तकरण नकल के लिए दिनांक 31.07.2025 को प्रार्थना पत्र पेश किया जो नकल तैयार होकर दिनांक 31.07.2025 को अपीलाण्टस को प्राप्त हो सकी। इस प्रकार अपील जानकारी से अन्दर मियाद पेश है। धारा 5 का प्रार्थना पत्र अपील के साथ पेश किया गया है। इसलिए अपील स्वीकार कर ग्राम पंचायत रामगढ का निर्णय दिनांक 18.07.2025 नामान्तकरण संख्या 237 वाके रामा रामगढ तह0 सिकराय को निरस्त किया जावे एवं पुनः नामान्तकरण अपीलाण्टस एवं रेस्पोडेण्टस संख्या 2 के हक में भरा जावे।

अपील अपीलाण्टस दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्टस की तलबी विधिवत जारी की गई। रेस्पोडेण्टस की ओर से अधिवक्ता श्री रामचन्द्र वैष्णव द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण सुनी गई।

अपीलाण्टस अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 द्वारा गलत दस्तावेजो के आधार पर रामकिशन का वारिस बनकर नामान्तकरण खुलवाया है जबकि रेस्पोडेण्टस संख्या 1 विजयसिंह जगन्या उर्फ जमन्या का वारिस है। विजयसिंह द्वारा महज अपीलाण्टस की भूमि को हडपने की नियत से फर्जी दस्तावेजात तैयार कर नामान्तकरण दर्ज करवाया है जिसे निरस्त किया जावे एवं रामकिशन के सही वारिसान अपीलाण्टस एवं रेस्पो0 संख्या 2 के नाम नामान्तकरण दर्ज किया जावे। अपीलाण्टस द्वारा अपनी अपील के समर्थन में दस्तावेज के रूप में सूचना अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त सूचना, शपथ पत्र मुथरेश गुर्जर, विनोद कुमार, रामखिलारी तथा विजयसिंह की ओर से दिए गए शपथ पत्र की प्रति तथा मौका पर्चा वारिसान रामगढ पेश की है।

रेस्पोडेण्टस अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस पेश की है एवं दौराने बहस निवेदन किया गया है कि अपीलाण्टस एवं रेस्पोडेण्टस संख्या 1 एवं 2 मृतक रामकिशन पुत्र बीरबल के विधिक वारिशान है एवं उसी अनुसार नामान्तकरण दर्ज किया गया है। रेस्पो0 संख्या 1 के पिता का नाम जगन्या उर्फ जमन्या नहीं था क्योंकि जगन्या उर्फ जमन्या पुत्र बीरबल की मृत्यु दिनांक 06.01.2025 को हो गयी थी तथा मृतक जगन्या उर्फ जमन्या के 7 विधिक वारिश थे जिसमें तोफली पत्नी तथा 3 पुत्र कमशः भौरीलाल, बाबूलाल, हरिसिंह तथा 3 पुत्री गुलाब, प्रेम, विमला थी तथा मृतक जगन्या उर्फ जमन्या की पत्नी तोफली की मृत्यू अपने पति से पहले ही हो गयी थी तथा मृतक जगन्या उर्फ जमन्या के हक हिस्से की भूमि की विरासत का नामान्तकरण उसके विधिक वारिसान 3 पुत्र तथा 3 पुत्रीयों के

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला दौसा

हक में खुल गया था तथा मृतक जगन्या उर्फ जमन्या के हक हिस्से की भूमि की विरासत का नामान्तकरण खुलवाते समय मृतक जगन्या उर्फ जमन्या के पुत्र भौरीलाल के द्वारा हल्का पटवारी को एक स्टाम्प पेपर पर मृतक जगन्या उर्फ जमन्या के वारिशान की बाबत नोटेरी पब्लिक से सत्यापित करवाकर एक शपथ पत्र पेश किया गया था। मृतक जगन्या उर्फ जमन्या के हक हिस्से की भूमि का विरासत का नामान्तकरण दर्ज करने से पूर्व हल्का पटवारी रामगढ सीताराम के द्वारा दिनांक 17.06.2025 को मौके पर जाकर मृतक जगन्या उर्फ जमन्या के विधिक वारिशान की जांच की गयी तथा हल्का पटवारी के द्वारा अपीलाण्ट संख्या 1 एवं रेस्पो0 संख्या 1 एवं गांव के अन्य मौजूदा लोगों के सामने अपने द्वारा मौका पर्चा भी तैयार किया गया जिसमें हल्का पटवारी के द्वारा मृतक जगन्या उर्फ जमन्या के सिजरा खानदान में उसके 7 विधिक वारिशान तोफली पत्नी जो फौत हो चुकी है तथा 3 पुत्र क्रमशः भौरीलाल, बाबूलाल, एवं हरिसिंह तथा 3 पुत्री क्रमशः गुलाब, प्रेम, विमला होना अंकित किया गया है जिसमें 6 विधिक वारिशान जिंदा होना बताया गया है तथा हल्का पटवारी के मौका पर्चा की रिपोर्ट पर स्वंय अपीलाण्ट संख्या 1 के हस्ताक्षर है जो इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि रेस्पो0 संख्या 1 विजयसिंह मृतक जगन्या उर्फ जमन्या का पुत्र नहीं है जबकि अपीलांटस संख्या 1 ने अपनी अपील के सिजरा खानदान में रेस्पो0 1 को मृतक जगन्या उर्फ जमन्या का पुत्र होना अंकित किया है जो कि अपने आप में ही गलत साबित होता है तथा विश्वनीय नहीं है। अपीलाण्टस संख्या 1 के मन में आरम्भ से ही रेस्पो0 संख्या 1 के हक हिस्से की भूमि को हडपने आशय रहा है तथा आपस में अपने भाई से द्वेष रखता रहा है जो मृतक रामकिशन के सामने ही ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गयी थी तथा भाई एवं बहिनों के भविष्य में किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न नहीं हो जिसके कारण अपीलांटस एवं रेस्पो0 संख्या 1 एवं 2 के मृतक पिता रामकिशन ने अपनी मृत्यू से पूर्व ही अपने जीवनकाल में ही उक्त अपने हक हिस्से की भूमि एवं मकानात का बाहमी रूप से बंटवारा कर तत्समय ही मौके पर अपीलांट एवं रेस्पो0 को कब्जा संभला दिया था। अपीलाण्टस एवं रेस्पो0 संख्या 1 एवं 2 के मृतक पिता रामकिशन ने अपने दोनों पुत्रों के मध्य किये गये पारिवारिक बंटवारे के बाबत 01.12.2020 को एक लिखावट वर कीमती स्टाम्प 500 रू पर तहरीर एवं तकमील कर रूबरू गवाहान के समक्ष जिम्मेवारी पर हस्ताक्षर कर दिये तथा उक्त लिखावट को तत्समय ही नोटेरी पब्लिक से सत्यापित करवा दिया गया था जिसकी प्रति पेश की गई है। रेस्पो0 के पिता रामकिशन ने अपने पारिवारिक बंटवारे की लिखावट में भी अपने दो पुत्र हेमराम एवं विजयसिंह तथा

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला दौसा

दो पुत्री केशन्ता एवं विनोद होना अंकित किया गया है। रेस्पो0 अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि रेस्पो0 संख्या 1 रामकिशन का विधिक वारिस है जिसके सभी दस्तावेजात भी पेश किये गये है अपीलाण्ट द्वारा रेस्पो0 को उनके हक हिस्से से बेदखल करने की नियत से अपील पेश की है जिसे खारिज की जावे।

उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस का मनन किया गया। पत्रावली एवं उभयपक्ष द्वारा पेश दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अपीलाण्टस द्वारा अपील के समर्थन में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अचलपुरा, जिला दौसा का सूचना अधिकार अधिनियम के तहत सूचना बाबत दस्तावेज पेश किया गया है जिसमें विजयसिंह गुर्जर पुत्र श्री जगन्नाथ गुर्जर जन्मतिथि 15.07.1971 प्रवेश दिनांक 08.07.1978 प्रथम कक्षा विद्यालय छोडने का दिनांक 10.12.1983 लगातार अनुपस्थित रहने के कारण नाम पृथक किया गया, एस0आर0 नम्बर 440 अंकित किया गया है। अपीलाण्टस द्वारा अन्य दस्तावेजात के रूप में मौका पर्चा दिनांक 16.07.2025 के संबंध में शपथग्रहिता मुथरेश, विनोद, रामखिलारी के शपथपत्र पेश किये गये है जिनमें अंकित किया है कि पटवारी हल्का द्वारा खाली पन्ने पर हस्ताक्षर करवाए गए थे, वे नहीं जानते है कि मृतक रामकिशन के वारिस कौन है। मौका पर्चा दिनांक 16.07.2025 में पटवारी हल्का द्वारा मृतक रामकिशन के वारिशान की रिपोर्ट तैयार की गई है जिसमें रामकिशन के वारिश क्रमशः कमला देवी पत्नी जो फौत होना जाहिर किया है, पुत्र विजयसिंह एवं हेमराज तथा पुत्री केशन्ता देवी एवं विनोद देवी अंकित किया गया है।

रेस्पोडेण्टस की ओर से मृतक रामकिशन के द्वारा किया गया पारिवारिक बंटवारे की प्रति पेश की है जो कि नोटेरी रजिस्टर्ड है जिससे रामकिशन के दो पुत्र विजयसिंह एवं हेमराज तथा दो पुत्रियां केशन्ता एवं विनोद देवी होना जाहिर है। रेस्पोडेण्टस संख्या 1 विजयसिंह का आधार कार्ड संख्या 644272369968 पेश किया है जिसमें विजयसिंह गुर्जर पुत्र रामकिशन गुर्जर जन्म दिनांक 01/01/1955 दर्ज है। भारत निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र पेश किया है जिसमें विजयसिंह पुत्र रामकिशन अंकित है। पैन कार्ड संख्या ETWPG3734G पेश किया है जिसमें विजयसिंह गुर्जर पुत्र रामकिशन गुर्जर अंकित है। मृतक रामकिशन का परिवार राशन कार्ड संख्या 564 की प्रति पेश की है जिसमें क्रम संख्या 3 पर विजयसिंह बतौर रामकिशन के पुत्र के रूप में दर्ज है। विजयसिंह का परिवार राशन कार्ड संख्या 007836700515 पेश किया है जिसमें विजय सिंह गुर्जर पुत्र रामकिशन गुर्जर दर्ज है एव क्रम संख्या 6 पर रामकिशन बतौर पिता के रूप में दर्ज है। बिजली बिल खाता संख्या 17020326 पेश किया है जिसमें

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला दौसा

विजय सिंह गुर्जर पुत्र रामकिशन गुर्जर अंकित है। विधान सभा क्षेत्र सिकराय के भाग संख्या 89 की वोटर लिस्ट की प्रतिलिपि पेश की है जिसमें विजयसिंह पिता रामकिशन अंकित किया गया है। पटवारी हल्का की मौका पर्चा रिपोर्ट दिनांक 17.06.2025 की प्रति पेश की है जिसमें जगनलाल उर्फ जगन्या गुर्जर पुत्र बीरबल गुर्जर का सजरा खानदान तैयार किया गया है जिसके अनुसार जगन्या के वारिसों में तोफली पत्नी जो कि फौत अंकित किया गया है, 3 पुत्र भौरीलाल, बाबूलाल, हरिसिंह तथा 3 पुत्री गुलाब, प्रेम, विमला अंकित किये गये है इस प्रकार मृतक जगन्या के कुल 6 जीवित वारिस बताए गए है एवं उक्त रिपोर्ट में अपीलाण्टस के दावे अनुसार विजयसिंह को जगन्या का वारिस अंकित नहीं किया गया है एवं उक्त रिपोर्ट पर स्वंय अपीलाण्ट संख्या 1 हेमराज गुर्जर के भी हस्ताक्षर है एवं उक्त तथ्य के विरोध में भी अपीलाण्ट संख्या 1 हेमराज द्वारा कोई ऐसा तथ्य न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया है जिससे उक्त रिपोर्ट दिनांक 17.06.2025 पर संशय किया जावे।

अपीलाण्टस द्वारा अपनी अपील के समर्थन में जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की सूचना अधिकार अधिनियम के तहत ली गई सूचना पेश की है जिसमें अंकित किया गया है कि विजयसिंह गुर्जर पुत्र श्री जगन्नाथ गुर्जर जन्मतिथि 15.07.1971 प्रवेश दिनांक 08.07.1978 प्रथम कक्षा विद्यालय छोडने का दिनांक 10.12.1983 लगातार अनुपस्थित रहने के कारण नाम पृथक किया गया, एस0आर0 नम्बर 440 विद्यालय के एस0आर0 रजिस्टर में दर्ज है। लेकिन उक्त रिपोर्ट विजयसिंह गुर्जर पुत्र जगन्नाथ गुर्जर अंकित किया गया है एवं जगन्नाथ एवं जगन्या एक ही व्यक्ति है, तथा उक्त विद्यालय सूचना विजयसिंह रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के संबंध में ही है ऐसा अपीलाण्ट साबित नहीं कर सके है। तथा क्या उक्त इन्द्राज विद्यालय में सही दस्तावेजात की जांच उपरान्त ही किए गए थे ऐसा स्पष्ट नहीं है। विद्यालय की उक्त सूचना में यह भी महत्वपूर्ण है कि विजयसिंह की जन्मतिथि 15.07.1971 दर्ज है जबकि न्यायालय में रेस्पोडेण्टस की ओर से पेश दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, पैन कार्ड इत्यादि में विजयसिंह की जन्मतिथि 01/01/1955 दर्ज है जिसमें लगभग 16 वर्ष का अन्तर है इसलिए यह विश्वास किया जाना किसी भी प्रकार से संभव नहीं है कि विद्यालय से सूचना अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त सूचना जो अपीलाण्ट द्वारा न्यायालय में पेश की गई है वह रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से संबंधित हो।

अपीलाण्टस द्वारा अन्य दस्तावेजात के रूप में मुथरेश पुत्र रामस्वरूप गुर्जर, विनोद कुमार गुर्जर, एवं रामखिलारी गुर्जर के शपथ पत्र पेश किए है जिनमें

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला दौसा

अंकित किया है कि प्रश्नगत नामानतकरण के संबंध में जो रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 16.07.2025 को तैयार की गई है वे उनसे सहमत नहीं है, पटवारी हल्का द्वारा उनसे गिरदावरी के साईन के नाम पर खाली कागज पर हस्ताक्षर करवाए गए थे, शपथकर्ता को यह जानकारी नहीं है कि मृतक रामकिशन के वारिस कौन है। उक्त शपथ पत्र दिनांक 27.10.2025 को तैयार करवाए गए है जो कि अपील पेश करने के बाद दौराने विवाद न्यायालय में विचाराधीन रहने के तैयार करवाए गए है, इसलिए उक्त शपथ पत्र सही हो इस पर भी पूर्णतः विश्वास नहीं किया जा सकता है। एवं यदि यह मान भी लिया जावे कि शपथ पत्र में अंकित बयान सही है तो भी शपथ पत्र में केवल यह अंकित किया गया है कि वे यह नहीं जानते है कि मृतक रामकिशन के वारिस कौन कौन है। उक्त शपथ पत्र से कंही भी यह स्पष्ट नहीं होता है कि विजयसिंह रामकिशन का पुत्र ना हो, अथवा प्रश्नगत नामान्तकरण गलत दर्ज किया गया हो।

रेस्पोडेण्टस की ओर से पेश दस्तावेजात आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आई डी कार्ड, राशन कार्ड, बिजली बिल, मतदाता सूची, जन आधार कार्ड पटवारी हल्का रिपोर्ट इत्यादि सभी में विजयसिंह को रामकिशन का ही पुत्र अंकित किया गया है।

रेस्पोडेण्ट संख्या 2 विनोद देवी जो कि मृतक रामकिशन की पुत्री है एवं स्वंय अपीलाण्ट का भी यह स्वीकार तथ्य है कि रेस्पोडेण्ट संख्या 2 विनोद देवी रामकिशन की पुत्री है। एवं स्वंय विनोद देवी जो कि अपीलाण्ट हेमराज की भी बहन है, के द्वारा न्यायालय में लिखित बहस पेश कर यह स्वीकार किया गया है कि विजयसिंह गुर्जर मृतक रामकिशन की ही संतान है।

रेस्पो0 द्वारा पेश पारिवारिक बंटवारा जो कि स्वंय रामकिशन द्वारा किया गया है एवं नोटेरी रजिस्टर्ड है में भी अंकित किया गया है रामकिशन के दो पुत्र हेमराज एवं विजयसिंह तथा दो पुत्री केशन्ता एवं विनोद देवी है। जिससे यह स्पष्ट है कि विजयसिंह रामकिशन की ही संतान है।

अपीलाण्ट ने अपील में अंकित किया है कि विजयसिंह मृतक जगन्या का पुत्र है लेकिन मृतक जगन्या के विरासत नामान्तकरण के संबंध में पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 17.06.2025 की गई है जिसमें जगन्या के वारिसों में विजयसिंह का नाम नहीं है एवं उक्त रिपोर्ट पर स्वंय अपीलाण्ट हेमराज के भी हस्ताक्षर है जिसके विरोध में भी अपीलाण्ट द्वारा कोई तथ्य पेश नहीं किए गए है जिससे यह स्पष्ट होता है कि विजयसिंह जगन्या का पुत्र नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला दौसा

इस प्रकार उक्त विवेचन से यह बखूबी स्पष्ट है कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 विजयसिंह गुर्जर मृतक रामकिशन का ही पुत्र है, अपीलाण्ट अपनी अपील को साबित नहीं कर पाए है। प्रश्नगत नामान्तकरण विधि अनुसार एवं सही दर्ज किया गया है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की गई है।

अतः अपील अपीलाण्ट विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 237 खारिज की जाती है।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।

(डॉ0 नवनीत कुमार R.A.S.)
हस्ताक्षर एवं मुद्रा
उपखण्ड अधिकारी सिकराय